



सत्यमेव जयते

आयकर आयुक्त-II का कार्यालय

आयकर भवन, 31, सी-2, ताराबाई पार्क, कोल्हापुर

संख्या : को/आ.आ.2/तकनीकी/12 कक/ ~~27~~/~~18~~ /2010-11 / ~~1638~~ दिनांक 23/11/2010

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 कक (12 AA) के अधिन

पंजीकरण प्रमाणपत्र

आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत न्यास / संस्थाओं के रखे हुए रजिष्टर में

~~हेरिटेज कल्चर, आर्ट अँड एड्युकेशन डेव्लपमेंट~~

~~सोसायटी, लांजा, जिल्हा - रत्नागिरी~~ का नाम दर्ज किया गया है।

उसकी प्रमाणपत्र संख्या को. आ. आ.-2/तकनीकी/12कक/ ~~27~~/~~18~~ /2010-11 है।

~~यह न्यास/संस्था दिनांक 08/07/2010 से (निर्धारण वर्ष 2011-12) पंजीकृत की जाती है।~~

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 (क) (2) की ओर न्यास / संस्था का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (4 क) के अंतर्गत आयकर विवरणी दायर करनी होगी। तथा आयकर नियमावली 1962 के नियम 17 ख (17 B) का पालन करना होगा। और प्रारूप नं. 10 ख (10 B) में लेखा रिपोर्ट देनी होगी।

दिनांक : 23/11/2010
कोल्हापुर



हस्ता. / -
(सौ. पुष्पलता श्रीवास्तव)
(Sou. Pushplata Srivastav)
आयकर आयुक्त - II / C. I. T. - II
कोल्हापुर / Kolhapur.

1. न्यास / संस्था धार्मिक न्यास / धर्मादाय न्यास / संस्था के रूपमें पंजीकृत की गयी है।
2. धार्मिक न्यास / संस्थाओं के दान कर्ता धारा 80-छ (80-जी) के अधिन कर राहत के लिये भागी नहीं हो सकते।
3. धर्मादाय न्यास / संस्थाओं के दान कर्ता धारा 80-छ (80-जी) के अधिन कर राहत के लिये भागी बनने के लिये आवश्यक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

प्रति :

1. ~~न्यास / संस्था हेरिटेज कल्चर, आर्ट अँड एड्युकेशन डेव्लपमेंट सोसायटी~~

~~द्वारा: समर्थ डेव्लपमेंट, बी-203, सातवली रोड, सु.पो/लांजा, जि.: रत्नागिरी - 416701~~

2. ~~अतिरिक्त आयकर परिसर - 112/ कोल्हापुर / रत्नागिरी / इंचुकरंजी~~

3. सहायक आयकर आयुक्त सर्कल - / आयकर अधिकारी चौई - 1, रत्नागिरी (एक मिसिस्ट के साथ)

(एस. एम. कुलकर्णी)
आयकर अधिकारी / Income Tax Officer
न्यायिक एवं तकनीकी / Judicial & Technical
आयकर आयुक्त-II का कार्यालय/O/o the C. I. T. - II
कोल्हापुर/ Kolhapur.

ATTESTED

Executive Magistrate
Lanja